

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है० में)
1	2	3	4	5	6	7
प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरेखण में आरक्षित वन भूमि प्रभावित नहीं होती है।						

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर

नोट- यह सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है।

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैंड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिए)
(राजस्व विभाग)/ जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र)

भूमि की श्रेणी :- सिविल सोयम भूमि।

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा नं०	कुल रकबा		परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है० में)
				ना०	मु०			
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	5431	03	15	112	7.00	0.078
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	5597	01	06	40	7.00	0.028
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	5598	01	07	41	7.00	0.029
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	5599	04	07	127	7.00	0.089
ग्राम कांडे कन्याल का योग			4 नं०	11	03	320	07	0.224
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	170	02	13	80	7.00	0.056
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	172	01	05	37	7.00	0.026
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	184	01	14	54	7.00	0.038
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	260	04	05	128	7.00	0.086
ग्राम खड़खेत का योग			4 नं०	10	05	295	07	0.206
कुल योग			8 नं०	21	08	615	7.00	0.4305 या 0.430

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

पटवारी
उपरराजस्व निरीक्षण

तहसीलदार
जनपद-बागेश्वर

उपजिला अधिकारी
काण्डा

जिला अधिकारी
बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग-अलग प्रपत्र भरा जाना है।

प्रपत्र-11.2

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैंड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिए)
(राजस्व विभाग)/ जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र)

भूमि की श्रेणी :- वन पंचायत भूमि।

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा नं०	कुल रकबा		परियोजना की लम्बाई (मीटर मे)	चौड़ाई (मीटर मे)	आवेदित क्षेत्रफल (हे० में)
				ना०	मु०			
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	53	03	13	109	7.00	0.0763
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	55	05	14	168	7.00	0.1176
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	181	03	10	104	7.00	0.0728
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	233	02	11	077	7.00	0.0539
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	237	04	07	127	7.00	0.0889
	कुल योग		5 नं०	20	07	585	7.00	0.4095 या 0.410

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशायी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

उपपट्टा निरीक्षक
तहसीलदार
काण्डा
बागेश्वर

उपजिला अधिकारी
जिलाधिकारी
काण्डा

जिला अधिकारी
बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग-अलग प्रपत्र भरा जाना है।

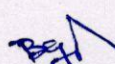
परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैंड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

लैन्ड शेड्यूल

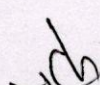
(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिए)
(राजस्व विभाग)/ जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र)

भूमि की श्रेणी :- नाप भूमि।

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा नं०	कुल रकवा		परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (है० में)
				म ^२	डू			
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	काडेकन्याल	28	00	800	07	0.560
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	खड़खेत	17	08	500	07	0.350
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	भदौरा	17	08	500	07	0.350
बागेश्वर	कांडा	बागेश्वर	बांजझिरोटी	70	00	2000	07	1.40
नाप भूमि का कुल योग				133	00	3800	07	2.660

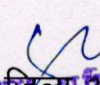

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर


अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर


उपनिर्देशक
बाजीना


उपनिर्देशक
काण्डा-बागेश्वर


उपनिर्देशक
काण्डा


उपनिर्देशक
बागेश्वर

नोट- उक्त सूचना राजस्व विभाग द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करायी जानी है जिसे प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का अलग-अलग प्रपत्र भरा जाना है।